



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-248

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 281222 दिनांक 06/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sheela Shekhawat W/o VIRENDRA SINGH SHEKHAWAT	श्री सुभाष चन्द गुप्ता पुत्र श्री श्रीचन्द गुप्ता	232	200.00 SQ. YARD	Cooperative	NANDPURI-B Sector/Block-	Sub Division and Reconstitution	कृपया नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त आवेदन का अवलोकन फरमावें। जिसके माध्यम से प्रार्थिया श्रीमती शीला शेखावत पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा भूखण्ड संख्या 232 (पूर्वी भाग) अपोलो नगर गृ.नि.स.स. की योजना नन्दपुरी-बी का उपविभाजन करते हुए नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में उक्त मूल भूखण्ड संख्या 232 क्षेत्रफल 200 व.ग. का पट्टा विलेख दिनांक 20.12.2000 को श्री सुभाष चन्द गुप्ता पुत्र श्री



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

श्रीचन्द गुप्ता को जारी किया गया था। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण पत्र दिनांक 08.04.2013 को श्रीमती निशा पारवानी पत्नी श्री प्रदीप कुमार पारवानी को जारी किया गया। इसके पश्चात श्रीमती निशा पारवानी द्वारा उक्त भूखण्ड का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.08.2016 के द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 232 का पूर्वी हिस्सा क्षेत्रफल 100 व.ग. श्री प्रकाश नायर पुत्र श्री गोपीनाथ नायर को किया गया। इसके पश्चात श्री प्रकाश नायर द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 232(पूर्वी हिस्सा) का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती शीला शेखावत पत्नी श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत को किया गया। प्रकरण में नाम हस्तान्तरण पश्चात एक से अधिक विक्रय होने के कारण विज्ञप्ति प्रकाशन अपेक्षित है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Sheela Shekhawat W/o VIRENDRA SINGH SHEKHAWAT को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |